मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 09-07-2016 को विधि-व्यवस्था एवं उत्पाद से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. समाहर्त्ता, मधेपुरा
2. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
4. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
5. अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा
6. लोक अभियोजक, मधेपुरा
7. अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा
8. सभी सहायक लोक अभियोजक
9. विशेष अधिवक्ता, उत्पाद, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
10. सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला

(2) कार्यवाही :-

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(3) गिरफ्तार अभियुक्तों के जेल एवं जमानत की समीक्षा :-

माह जून, 2016 तक उत्पाद विभाग एवं पुलिस द्वारा उत्पाद मामलों में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत /जमानत की विवरणी निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	माह	न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्तों की संख्या		जमानत प्राप्त अभियुक्तों की संख्या	
		उत्पाद	पुलिस	उत्पाद	पुलिस
01	अप्रैल, 2016	02	09	01	07
02	मई, 2016	17	26	04	07
03	जून, 2016	17	33	04	04
कुल-		**36**	**68**	**9**	**18**

न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्तों की जमानत के संबंध में विशेष अधिवक्ता, उत्पाद, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 में ही अधिकतर अभियुक्तों को जमानत दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि न्यायाधीशों के द्वारा यह उल्लेखित किया जाता है कि बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 गैर जमानतीय नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों को ज्यादा दिन तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इसी क्रम में अधिवक्ताओं द्वारा यह परामर्श दिया गया कि प्राथमिक प्रतिवेदनों में अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा घटना स्थल एवं घटना का विस्तृत ब्यौरा अंकित किया जाए।

अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जमानत प्राप्त अभियोगों की सूची तैयार कर जमानत के कारणों का समीक्षा की जाए तथा जमानत रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के साथ-साथ सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया जाता है कि अनुसंधान पदाधिकारियों को प्राथमिक प्रतिवेदन विस्तृत रूप से सभी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए एवं उपयुक्त /सुसंगत धाराओं का अधिरोपण करते हुए तैयार करने हेतु निदेशित की जाए।

(4) प्रारूपित उत्पाद विधेयक, 2016 :-

बैठक में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रारूपित उत्पाद विधेयक, 2016 की प्रस्तावित धाराओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर विचार-विमर्श किया गया। प्रारूपित विधेयक के अध्याय-। के धारा-2 में वर्णित परिभाषा में विदेशी शराब को संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया गया है, जिसे पूर्व उत्पाद अधिनियम में वर्णित परिभाषा के अनुरूप ही होना चाहिए।

चूंकि बिहार में अभी पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे में उक्त विधेयक के चैप्टर III, IV एवं V अप्रासंगिक है।

चर्चा के क्रम में ही विशेष अधिवक्ता उत्पाद, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज द्वारा इस आशय का उल्लेख किया गया कि ब्रेथ एनेलाईजर से किए गए टेस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मान्य नहीं है। इस संबंध में उल्लेख करना है कि भारतीय संचार (संशोधन) अधिनियम 2008 में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडयुस्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गयी है। अतः विशेष अधिवक्ता, उत्पाद, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सुझाव दिया जाता है कि न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष रखते समय इस आशय का उल्लेख किया जाए।

अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि बैठक में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा, लोक अभियोजक, मधेपुरा, अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा, सहायक लोक अभियोजक, मधेपुरा द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में उक्त विधेयक पर मंतव्य तैयार कर उपस्थापित करें। साथ ही उक्त तैयार मंतव्य के साथ विशेष अधिवक्ता, उत्पाद, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज द्वारा समर्पित मंतव्य को भी आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना एवं उसकी प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु संचिका आज ही उपस्थापित करें।

(5) स्थायी प्री-फैब्रिकेटेड बैरियर चेक पोस्ट :-

नई उत्पाद नीति के तहत् पूर्ण शराबबंदी होने के पश्चात् मधेपुरा जिला के सीमा को सील करने हेतु विभाग द्वारा गम्हरिया एवं चौसा में दो स्थायी प्री-फैब्रिकेटेड बैरियर चेक पोस्ट निर्माण करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अतः कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को उक्त दोनों स्थलों पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा चिन्हित स्थलों पर दो स्थायी प्री-फैब्रिकेटेड बैरियर चेक पोस्ट शीघ्र निर्माण कराना सुनिश्चित करें। अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि उक्त आशय का पत्राचार करने हेतु संचिका आज ही उपस्थापित करें।

(6) छापामारी एवं गश्ती :-

अधीक्षक उत्पाद एवं एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अंचलों /क्षेत्रों में नियमित रूप से शराब बिक्री, उपभोग एवं परिवहन से संबंधित सूचना गुप्त रूप से प्राप्त कर छापामारी का कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में पूर्ण शराबंदी का उल्लंघन नहीं हो सके। जिले के विशेष क्षेत्र यथा- मुरलीगंज,

बिहारीगंज, चौसा एवं आलमनगर में विशेष रूप से निगरानी रखने का निदेश दिया गया। इस जिले में मुख्य रूप से झारखण्ड राज्य एवं पश्चिम बंगाल राज्य से पूर्णियाँ एवं भागलपुर के रास्ते शराब पहुंचने की संभावना प्रबल है, ऐसे में अधीक्षक उत्पाद के साथ-साथ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज, बिहारीगंज, चौसा एवं आलमनगर को विशेष रूप से हिदायत दिया जाता है कि वे बाहर से आने वाले ट्रकों /वाहनों (खासकर बालु,गिट्टी एवं सब्जी वाले) का विशेषतः नियमित रूप से सघन जांच की जाए। इन क्षेत्रों में रात्रि गश्ती एवं जांच विशेष रूप से की जाए। साथ ही अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा एवं थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेशित किया जाता है कि वे विशेष रूप से पूर्णियाँ की ओर से आने वाली ट्रेनों की भी जांच नियमित रूप से करायी जाए।

उल्लेखनीय है कि पूर्ण शराबबंदी के पश्चात् नशा के आदि व्यक्तियों द्वारा भांग /गांजा /चरस आदि का सेवन किये जाने की संभावना रहती है। ऐसे में अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा एवं सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया जाता है कि वे गुप्त रूप से भांग /गांजा /चरस आदि की खेती /संग्रहण /परिवहन /व्यापार /उपभोग करने वालों के संबंध में सूचना संग्रहण कर प्रभावकारी छापामारी कर अग्रतर कानूनी कार्रवाई करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...1241........../उ0,मधेपुरा, दिनांक..15-7-2016

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा /लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सामान्य अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सभी ए0पी0पी0, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा 15/7/16